मुन्तकिली प्रकरण सं0 102/2018 (RCMS 2018/00191) अनवानी 1. विक्रम शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मधुवन कॉलोनी, श्रीगंगानगर बनाम 1. राजीव जोशी पुत्र नंदकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी समता कॉलोनी, बीकानेर मुखत्यार नंदकिशोर जोरी पुत्र भंवरलाल जोशी निवासी बीकानेर 2. ओम प्रकाश पुत्र गोरधन लाल जाति ब्राह्मण निवासी मधुवन कॉलोनी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.02.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 राजीव जोशी के मुख्त्यारेआम नंदकिशोर जोशी पुत्र भंवर लाल जोशी की ओर से अधिवक्ता श्री शिव कुमार श्रीमाली ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने फहरिस्त सूची में अंकित दस्तावेज प्रमाणित प्रति फर्द अहकाम दिनांक 14.11.2018 से 23.01.2019, नकल वाद पत्र 29.10.2018 एवं नकल घोषणा पत्र बाबत ऋण दिनांक 10.11.2017 जो दिनांक 01.02.2019 को पेश किया गया, जो पहले से ही शामिल पत्रावली है।

चूंकि आज यह **पत्रावली निर्णय के लिए नियत थी** किन्तु श्री शिव कुमार श्रीमाली, अधिवक्ता द्वारा आज अप्रार्थी संख्या 01 के मुख्त्यारेआम की ओर से वकालतनामा पेश करने पर दोनों पक्षों के विद्वान पक्षकारों की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री राकेश कुमार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 02/2018 अनवानी सरकार बनाम राजीश जोशी ओम प्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 145, 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 01 जो कि बीकानेर के निवासी है, ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में धारा 145, 146 सीआरपीसी का इस आशय का पेश किया कि उनके पिता नन्द किशोर ने अप्रार्थी संख्या 02 से मकान नं 48, मधुवन कॉलोनी, श्रीगंगानगर क्रय किया हुआ है और उसका कब्जा चला आ रहा है और

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

P.C. Attested
प्रभारी अधिकारी
रीडर शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वह समय समय पर मकान की देखभाल करने आता रहता है और दिनांक 08.10.2018 को वह मकान संभालने आया तो ओम प्रकाश व विक्रम और 4–5 अन्य आपराधिक किस्म के व्यक्तियें ने उसकों रास्तें में रोक लिया व धमकी दी कि वह उक्त मकान में कब्जा कर उसके मकान में पड़ा समान खुर्द–बुर्द कर देंगे एवं धमकी दी कि मकान में प्रवेश किया तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देंगे, इनका पूरा गैंग है जो अवैध रूप से कब्जा करने का कार्य करता है आदि तथ्यों पर जो इस्तगासा दिनांक 11.10.2018 को पेश किया गया है, वह पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को भेजने पर पुलिस थाना सदर द्वारा बिना पूरी जांच किये ही इस्तगासा क्रमांक 02/15.10.2018 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर में पेश कर दिया, जो वहां विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट उक्त मामले में प्रार्थी को जवाब के लिए छोटी छोटी तारीख पेशियां दे रहे है और दिनांक 12.11.2018 को जब प्रार्थी पैरवी के लिए कचहरी अहाता में आया तो अप्रार्थी संख्या 01 राजीव ने उसे कहा कि एस.डी.एम. की पत्नी श्रीमती अनुभूति मिश्रा जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर है के पीहर का मकान उनके मकान के पास ही स्थित है तथा उसने मजिस्ट्रेट की पत्नी के पीहर के माध्यम से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को अप्रौच कर दी है जो मकान पर शीघ्र ही रिसीवर नियुक्त कर देगें और आपके पिता को बेदखल कर देगें।

उनका यह भी कथन है कि दिनांक 12.11.2018 को जब प्रार्थी पैरवी के लिए पेश हुआ तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर जो पीठासीन अधिकारी है, का व्यवहार भी पक्षपात पूर्ण नजर आया क्योंकि मुकद्दमा में दिनांक 16.11.2018 की पेशी दर्ज करने के उपरान्त उसे काटकर 13.11.2018 कर दी जिससे प्रार्थी संख्या 01 उक्त ऐलानिया कथन सही प्रतीत होता है इसलिए उसे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा।

P.C. Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रभारी अधिकारी
रीडर शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति का सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है और जिस बैयनामें के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 विवादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व बताते है उस बैयनामे दिनांक 10.11.2017 को रद्द करवाने के लिए राहत चाही गई है और बैयनामा दिनांक 10.11.2017 जो नुमाईशी बैयनामा है केवल ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किया गया था जो आपसी समझौते के आधार पर ही किया गया था। अपने उक्त कथन के समर्थन में समझौतानामा दिनांक 10.11.2017 एवं वाद पत्र दिनांक 29.10.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि और वाद लम्बित होने के सम्बन्ध में न्यायायल की ऑर्डरशीट की प्रतिया भी पेश है।

इसलिए **उनका यह कथन** है कि जब सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उक्त प्रकरण में कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के दबाव के कारण कार्यवाही की जा रही है इसलिए उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण संख्या 02/2018 किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिली किया जाये।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक श्री शिव कुमार श्रीमाली का कथन है कि इस न्यायालय को उपखण्ड मजिस्ट्रट के न्यायालय में लम्बित प्रकरण की गुणदोष पर कोई विचार नही करना है अपितु यह देखना है कि प्रार्थी द्वारा जो आधार उक्त प्रकरण संख्या 02/2018 को मुंतकिल करने के बताये गये है क्या उनके आधार पर उक्त प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय को मुंतकिल किया जा सकता है अथवा नही?

उनका यह कथन है कि चूंकि प्रार्थी ने उक्त प्रकरण संख्या 02/2018 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय से अन्यत्र मुंतकिल करने की प्रार्थना है, अगर उक्त प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

P.C. Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रभारी अधिकारी
रीडर शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2018 अनवान सरकार बनाम राजीव जोशी, ओम प्रकाश वगैंरहा को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने भी प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों का खण्डन करते हुए अपनी टिप्पणी में प्रार्थना की है कि अगर उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 राजीव जोशी के मुख्तयारेआम नन्द किशोर के अभिभाषक द्वारा बहस में यह प्रार्थना की है कि प्रार्थी ने भी उक्त प्रकरण संख्या 02/2018 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की प्रार्थना की है, इसलिए अगर उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र समक्ष न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

चूंकि दोनों पक्षों को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 02/2018 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय से अन्यत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 02/2018 अनवान सरकार बनाम राजीव जोशी, ओम प्रकाश वगैंरा को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

P.C. Attested

प्रभारी अधिकारी
रीडर शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जो विधिवत् रूप से दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निस्तारण करेगें और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त मूल प्रकरण सुनवाई एवं निस्तारण हेतु एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर को नियत दिनांक 11.02.2019 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवायें। उभयपक्षकारों को हिदायत की जाती है वे दिनांक 11.02.2019 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय में उपस्थित होवे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

P.C. Attested
प्रभारी अधिकारी
रीडर शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांकः–सीजी/वाचक/19/194 दिनांकः 08/02/19

प्रतिलिपिः–निम्न को पालनार्थ/सूचनार्थ प्रषित है।

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर।
2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर।

प्रभारी अधिकारी
वाचक शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर